


19/7/19 वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थीगण
अनुपस्थित। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण को
तीन बार आवाज लगाई गई वाकपूरे
आवाज लगाने के प्रार्थीगण मय वकील
अनुपस्थित। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 RTA अदम हाजरी अदम पेशी
में खरीज किया जाता है फगावली फंसल
शुमार डेकर नम्बर से कम थे।


सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) रानी